UPSI010060372025

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या-02, सीतापुर।

प्रकीर्ण दीवानी वाद संख्या-162/2025

सी०आई०एस०-192/2025

करम सिंह आदि बनाम रंजीत सिंह आदि।

दिनांक-02.04.2026

पत्रावली आज आदेश हेतु नियत है। धारा 5 मियाद अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र कागज सं०-3क पर विगत तिथि पर उभय पक्षों को सुना जा चुका है। पत्रावली का सम्यक् अवलोकन किया गया।

प्रार्थीगण करम सिंह आदि की ओर से प्रार्थना पत्र 3क अन्तर्गत धारा-5 मियाद अधिनियम, मय शपथ-पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थी /अपीलकर्तागण द्वारा प्रस्तुत वाद दीवानी वाद संख्या 582/2016 करम सिंह आदि बनाम सरदार जगत सिंह आदि अधीनस्थ श्रीमान सिविल जज (जू०डि०) एफ०टी०सी०, सीतापुर के न्यायालय में विचाराधीन था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 31.7.2025 को उक्त वाद निरस्त कर दिया गया। तत्पश्चात् वृद्धावस्था के कारण पैरोकार मुकदमा उक्त अपीलकर्ता संख्या -1 बुखार से पीड़ित हो गया तथा निरंतर बीमार रहा तथा अपीलकर्ता संख्या 2 व 3 व अन्य परिवारीजन उक्त अपीलकर्ता संख्या 1 की देखभाल में व्यस्त रहे। प्रार्थी/अपीलकर्तागण ने उक्त अपील में विलम्ब जानबूझकर नहीं किया है। प्रार्थी/अपीलकर्तागण द्वारा अपील आवेदन प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करने की याचना की गयी है।

प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह मौखिक बहस की जा रही है कि अवर न्यायालय द्वारा दिनांक 31.07.2025 को आदेश पारित किया गया है। तत्पश्चात् वृद्धावस्था के कारण पैरोकार मुकदमा उक्त अपीलकर्ता संख्या-1 बुखार से पीड़ित हो गया तथा निरंतर बीमार रहा तथा अपीलकर्ता संख्या 2 व 3 व अन्य परिवारीजन उक्त अपीलकर्ता संख्या 1 की देखभाल में व्यस्त रहे, जिस कारण अपील योजन में विलम्ब हुआ है।

विपक्षीगण की ओर से प्रार्थना-पत्र के विरुद्ध मौखिक आपत्ति की गयी है।

प्रार्थना-पत्र 3क, धारा-5 नियाद अधिनियम में प्रार्थी द्वारा विलम्ब का कारण यह दर्शाया गया है कि अपीलकर्ता संख्या 1 बुखार से पीड़ित हो जाने तथा निरंतर बीमार रहने व अन्य परिवारीजन उक्त अपीलकर्ता की देखभाल में व्यस्त रहे, जिस कारणवश अपील योजन में विलम्ब हुआ है।

माननीय उचतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा अनेक निर्णय विधियों में यह प्रतिपादित किया गया है कि प्रत्येक मामला यथा संभव गुण-दोष के आधार पर निस्तारित किया जाना चाहिए। माननीय उच्चतम न्यायालय ने **रामनाथ साओ उर्फ रामनाथ साहू तथा अन्य बनाम गोबर्धन साओ तथा अन्य ए०आई०आर० 2002 एस०सी० 1201** एवं **पूनम व अन्य बनाम हरीश कुमार व अन्य 2012 (115) आर०डी० 340** में यह अभिमत व्यक्त किया गया है कि परिसीमन अधिनियम 1963 की धारा 5 में प्रयुक्त शब्दावली पर्याप्त कारण की व्याख्या उदारतापूर्वक की जानी चाहिये, जिससे सारवान न्याय को बढ़ावा मिले। जब तक कि पक्षकार पर निष्क्रियता, उपेक्षा तथा दुर्भाव का आरोप न हो। किसी मामले में विलम्ब को क्षमा करने का पर्याप्त कारण है या नहीं, यह प्रत्येक वाद के तथ्य व परिस्थितियों पर निर्भर करता है।

इसी प्रकार **सैनिक सिक्योरिटी बनाम शील बाई 2008 (71) ए०एल०आर० 302 (एस०सी०)** के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि सारवान न्याय को तकनीकी न्याय पर वरीयता दी जानी चाहिये।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा धारा 5 मियाद अधिनियम में "सफीशिएन्ट कॉज़" के संदर्भ में **न्यू इण्डियन इन्श्योरेंस कार्पोरेशन लिमिटेड बनाम श्रीमती शान्ती मिश्रा,** AIR **1976** SC **237** में यह स्पष्टतः अभिकथित किया गया है कि "सफीशेएन्ट कॉज़" के सम्बन्ध में न्यायालय को एक लिबरल ऐप्रोच लेते हुये किसी निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिये। सफीशेएन्ट कॉज़ हेतु न्यायालय को बहुत कड़क या किसी जड़ मनोदशा के तहत इस सम्बन्ध में निष्कर्ष नहीं निकाला जाना चाहिये।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **ओ०पी० कथपालिया बनाम लखमीर सिंह,** AIR **1984** SC **1744** में यह स्पष्टतः अभिकथित किया गया है कि "ग्रेव मिसकैरेज ऑफ जस्टिस" विलम्ब को क्षमा किये जाने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण आधार हो सकता है।उपरोक्त वर्णित नजीरों में यह स्पष्टतः अभिकथित किया गया है कि विलम्ब क्षमा किये जाने हेतु न्यायालय को लचीला दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिये। ऊपर वर्णित नजीरों में यह भी स्पष्टतः अभिकथित किया गया है कि दिन-प्रतिदिन विलम्ब को स्पष्टतः व्याख्यानित विलम्ब क्षमा करने के लिये आवश्यक नहीं है। प्रस्तुत मामले की परिस्थितियों में प्रार्थी द्वारा अभिकथित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में यदि उपरोक्त विलम्ब को क्षमा नहीं किया गया तो उसके पक्ष में "ग्रेव मिसकैरेज ऑफ जस्टिस" होना सम्भावित है। उक्त परिस्थिति में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ओ०पी० कथपालिया बनाम लखमीर सिंह, AIR **1984** SC **1744** में प्रतिपादित रेशनेल के आधार पर विलम्ब क्षमा किये जाने का आधार पर्याप्त प्रतीत होता है।

अवर न्यायालय द्वारा मामले का निस्तारण, गुण-दोष के आधार पर उभयपक्ष को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुये, किया गया है। पत्रावली पर जगत सिंह के चिकित्सीय प्रपत्र दाखिल है, जो कि दिनांक 12 मार्च 2013 के हैं। उक्त चिकित्सीय प्रपत्रों का लाभ, धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थनापत्र दिनांक 10.09.2025 के मामले में प्राप्त नहीं होगा। निर्णय अवलोकन से स्पष्ट है कि उभयपक्ष ने न्यायालय में उपस्थित आकर मूल वाद में अपना साक्ष्य / आपत्ति दाखिल की है और बहस की है, जिसके आधार पर अवर न्यायालय ने उभयपक्ष की बहस के उपरान्त दिनांक 31.07.2025 को उपरोक्त निर्णय पारित किया है।

दिनांक 10.09.2025 को धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब का आधार अपीलार्थी करम सिंह का बुखार से पीड़ित होना बताया गया है और अपीलार्थी संख्या 2 व 3 को अपीलार्थी संख्या 1 की देखभाल में व्यस्त होना कहा है और समर्थन में जगत सिंह के चिकित्सीय प्रपत्र दिनांक 12.03.2013 के दाखिल किये हैं, जबकि मामले का निस्तारण दिनांक 31.7.2025 को किया गया है। अपीलार्थी संख्या-1 करम सिंह के दवा इलाज संबंधी पर्चे पत्रावली पर दाखिल नहीं किये है। न्याय के उद्देश्य व मामले के विधि सम्यक् निस्तारण हेतु प्रार्थी को अवसर दिया जाना न्यायोचित है, जिससे मामले का निस्तारण गुण-दोष के आधार पर किया जा सके। प्रस्तुत प्रकरण में जो आधार व कारण प्रार्थना -पत्र 3क एवं इसके समर्थन में दिये गये शपथ पत्र में दर्शाए गये हैं, वे उचित एवं संतोषजनक प्रतीत होते हैं।

उपरोक्त तथ्य परिस्थिति में मामले की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए माननीय उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में तकनीकी दृष्टिकोण को ना अपनाते हुए, न्यायहित में प्रार्थनपत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम विपक्षीगण की आपत्ति को ध्यान में रखते हुए मु० 500/- रूपये हर्जे पर स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थनापत्र 3क अंतर्गत धारा-5 मियाद अधिनियम मु०-500/- रूपये हर्जे पर स्वीकार किया जाता है तथा दी० अपील दाखिल करने में हुए विलम्ब को क्षमा करते हुए दी० अपील अन्दर मियाद मानी जाती है। प्रस्तुत पत्रावली, दी० अपील के अंगीकरण के बिन्दु पर सुनवाई हेतु दिनांक 21.04.2026 को माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीतापुर के समक्ष पेश हो।

उभयपक्ष नियत दिनांक 21.04.2026 को माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश , सीतापुर के न्यायालय में उपस्थित हों।

दिनांक-02.04.2026

(विजय कुमार आजाद)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं०-2
सीतापुर।
JO Code No.UP 6013

Ambuj/-

Digitally signed by VIJAY KUMAR AZAD
Date: 2026.04.03 12:03:56 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court, Sitapur